उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–2269–औ0सं0/2015–27 एफ/80(वो0– I)

दिनांक : 25 जून, 2015

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 सरकार की अधिसूचना सं0–6/12/73/क–2–टी0सी0–4 दिनांक 22.01.2014 द्वारा उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (ग्यारहवाँ संशोधन) नियमावली–2014 के नियम–5 मे किये संशोधन को अंगीकार किये जाने का निर्णय उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल ने अपनी 116वीं बैठक में लिया हैं।

उपरोक्त अधिसूचना अंगीकृत किये जाने के फलस्वरूप एतद्द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत सेवकों के अश्रितों की भर्ती नियमावली–1975 (यथासंशोधित) के नियम–5 में नीचे स्तम्भ–1 मे दिये गये विद्यमान नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित किया जाता हैं :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5–मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती–(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी परिषदीय सेवक की सेवाकाल में ऐसे एक सदस्य की मृत्यु हो जाये तो उसके कुटुम्ब के एक ऐसे सदस्य को, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम या राज्य विद्युत परिषद के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, परिषदीय सेवा में तृतीय श्रेणी (अवर अभियन्ता तथा उसके समकक्ष से नीचे के पदो) एवं चतुर्थ श्रेणी के पदो पर सेवायोजन प्रदान किया जाएगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह हैं कि वह सदस्य :– (एक):पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हतायें पूरी करता हो, (दो) : परिषदीय सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो और (तीन): परिषदीय सेवक की मृत्यु के दिनांक के पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता हैं। परन्तु जहां परिषद का यह समाधान हो जाये कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती हैं, वहां वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामलें में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती हैं।	**5–मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती–(1)**यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी कारपोरेशन के सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत कारपोरेशन सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में किसी पद पर ऐसे पद को छोड़ कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्ति :– (एक): पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताऐं पूरी करता हो, परन्तु यह कि, यदि नियुक्ति किसी ऐसे पद पर की जाती है जिसके लिए टंकण को एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित किया गया हैं, और मृत सरकारी सेवक के आश्रित के पास टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नही है, तो उसे इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर लेगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन–वृद्धि रोक ली जाएगी, और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिए उसे अग्रेतर एक वर्ष की अवधि प्रदान की जाएगी, और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहता है तो

	उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी, परन्तु यह और कि, किसी ऐसे पद पर नियुक्ति किये जाने की दशा में, जिसके लिए कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित की गयी हैं और मृतक सरकारी सेवक का आश्रित कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नही रखता है, तो उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्त कर लिया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसायटी द्वारा प्रदत्त ''सी0सी0सी0'' प्रमाण–पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रमाण–पत्र के साथ–साथ टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति अर्जित कर लेगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन–वृद्धि रोक ली जायेगी, और कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण–पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए उसे एक वर्ष की अग्रेतर अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण–पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने में विफल रहता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी। (दो) सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्ह हो, और (तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक के पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता हैं, परन्तु जहाँ उ0प्र0 पावर कारपोरेशन का यह समाधान हो जाये कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती हैं वहाँ वह अपेक्षाओं को जिन्हे वह मामले में न्याय–संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती हैं: परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तु के प्रयोजन के लिए सम्बन्धित व्यक्ति कारणों को स्पष्ट करेगा और आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा के अवसान के पश्चात् सेवायोजन के लिए आवेदन करने में विलम्ब के कारण के सम्बन्ध में ऐसे विलम्ब के समर्थन में आवश्यक अभिलेखों/सबूत सहित लिखित में समुचित औचित्य देगा और उ0प्र0 पावर कारपोरेशन विलम्ब के कारण के लिए सभी तथ्यों पर विचार करते हुए समुचित निर्णय लेगी। 2. जहाँ तक सम्भव हो, ऐसा सेवायोजन उसी इकाई में दिया जाना चहिए, जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु से पूर्व सेवायोजित था। 3. उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ हैं और उक्त मृत सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे। 4. जहाँ उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इनकार करता है

	जिसके प्रति अनुरक्षण के लिए वह उपनियम (3) के अधीन उत्तरदायी हैं तो उसकी सेवायें समय–समय पर यथा संशोधित उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती हैं।

नियमावली के अन्य प्राविधान यथावत रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या– 2269–औ0सं0/2015, तद्दिनांक–

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उ0प्र0 पावर ट्रांस्मीशन कारपोरेशन लिमिटेड/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवम् प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त),(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वान्चल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर।
5. निदेशक (आपरेशन)/निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति–प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
7. मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण/पारेषण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करायें।
9. महाप्रबन्धक (औ0सं0)/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
10. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप मुख्य एवम् वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(वेतन एवम् लेखा),उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
11. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवम् लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
14. कम्पनी सचिव , उ0प्र0 पावर कारपोरेशन, शक्ति भवन विस्तार को उनके पत्र सं0–458/पाकालि/बैठक (116)/2015 दिनांक 18.06.2015 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
15. कट फाइल ।

(कौशल चन्द्र सक्सेना)
उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)